रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275214
CG-DL-E-05082026-275214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4148] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948
No. 4148] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4324(अ).—केंद्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (छक) और खंड (छख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएनिम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) शास्तियों का न्यायनिर्णयन और अपील नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उपाध्यक्ष, कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलार्थी" से वह व्यक्ति है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो और अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है;

(घ) "अपील प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के अधीनयथाविनिर्दिष्ट कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2)प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके क्रमशः हैं।

3. शिकायत फाइल करना- कोई निरीक्षक अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाई गई स्कीम के किसी उल्लंघन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा प्ररूप 1 में शिकायत फाइल कर सकेगा।

4. जाँच करना - (1) अधिनियम की धारा 3क की उप धारा (1) के अधीनन्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, शिकायत प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, प्ररूप 2 में कारण बताओ सूचना जारी करेगा, जिसके अनुसार प्रतिवादी को उक्त अवधि जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए के भीतर कारण बताओ का उत्तर देना अपेक्षित होगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की राय है कि मामले में जाँच अपेक्षित है, तो वह लिखित रूप में सूचना जारी करेगा जिसमें प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, उक्त तारीख पर जो उक्त सूचना में नियत की जाए पर उपस्थित होना अपेक्षित होगा।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 3 में ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, जो जाँच से सुसंगत हैं और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को आगे की तारीख के लिए जो पहली तारीख से पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगीस्थगित किया जा सकेगा।

परंतु कि स्थगन दो बार से अधिक के लिए अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसे साक्ष्य लेने में, न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (47 of 2023) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन उपस्थित होने में असफल रहता है या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जाँच को आगे बढ़ा सकता है।

(6) प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पर, यदि न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उल्लंघन किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परंतु कि न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी आदेश पारित करने से पहले दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा:

परंतु यह और कि आधिरोपित शास्ति आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऐसी रीति में संदत्त की जाएगी।

(7) उपनियम (6) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे-

(क) किए गए उल्लंघन के ब्यौरे;

(ख) उल्लंघित स्कीम के उपबंध;

(ग) शास्ति के कारण;

(घ) अधिरोपित की गई शास्ति की राशि; और

(ङ) समय जिसके भीतर शस्ति संदत्त की जानी है।

(8) उपनियम (6) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति संबंधित पक्षकारों को **निःशुल्क** उपलब्ध कराई जाएगी।

(9) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, प्रत्यर्थी को कारण बताओ सूचना जारी किए जाने की तारीख से**छह मास**के भीतर कार्यवाही पूर्ण करेगा।

(10) उपनियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना याउपनियम (2) के अधीन जारी सूचना या उपनियम (6) के अधीन जारी आदेश की तामील निम्नलिखित में से किसी रीति से की जाएगी, अर्थात्: —

(क) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से; या

(ख) संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को परिदान या निविदान करके; या

(ग) स्पीड पोस्ट द्वारा; या

(घ) संबंधित व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के स्थान पर चस्पा करके।

5. अपील – (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप 4 में अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु कि अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) अपील के साथ नियम 4 के उपनियम (6) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति, अपील के विरूद्ध तथ्यों का स्पष्ट विवरण और अपील के लिए आधार फाइल किए जाएंगे।

(3) अपील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या स्पीड पोस्ट द्वारा फाइल की जा सकेगी:

परंतु कि स्पीड पोस्ट से भेजी गई अपील उसी तारीख को फाइल की गई समझी जाएगी, जिस तारीख को वह अपील प्राधिकारी को प्राप्त होती है।

(4) जांच करने पर, यदि अपील—

(क) विधिवत् पाई जाती है, तो अपील प्राधिकारी ऐसी अपील को स्वीकार करेगा;

(ख)त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर, अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को त्रुटि की सूचना दिए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उन त्रुटियों के प्रज्ञापन की अनुज्ञा दे सकेगा।

(5) यदि अपीलार्थी उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसीत्रुटियों का परिशोधन करने में असफल रहता है, तो अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर, ऐसी अपील को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा तथा ऐसे विनिश्चय की सूचना तत्पश्चात् सात दिन की अवधि के भीतर अपीलार्थी को देगा।

(6) अपील स्वीकृत किए जाने पर, अपील प्राधिकारी उक्त अपील की एक प्रति प्रत्यर्थी को प्रदान करेगा तथा उसके साथ एक लिखित सूचना भी देगा, जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह उक्त अवधि के भीतर जो तीस दिनों से अधिक नहीं होगी, जो उक्त सूचना में अपील प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्टकी जाए, अपना उत्तर प्रस्तुत करे।

(7) अपील प्राधिकारी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेख की मांग कर सकेगा।

(8) प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने पर, अपील प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे:

परंतु कि अपील प्राधिकारीआदेश पारित करने से पहले दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(9) उपनियम (6) के अधीन जारी सूचना या उपनियम (8) के अधीन जारी आदेश की तामील निम्नलिखित में से किसी भी रीति से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से; या

(ख) संबंधित व्यक्ति अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को परिदान या निविदान करके; या

(ग) स्पीड पोस्ट द्वारा; या

(घ) संबंधित व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के स्थान पर चस्पा करके।

(10) अपील प्राधिकारी, अपील प्राप्त होने जाने की तारीख से**साठ दिन**की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा।

6. **आदेश तथा शास्तियाँ- (1)** इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसकी सूचना सभी पक्षकारों को दी जाएगी।

(2) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी याअपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम जमा नहीं की जाती है, तो उसकी वसूली **भू**-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

(3) इन नियमों के अधीन शास्ति के रूप में वसूल की गई समस्त राशि कोलकाता डॉक श्रम बोर्ड की समुचित निधि में जमा की जाएगी।

प्ररूप 1

शिकायत

(*नियम* 3 देखिए)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

…………………………………..

1. शिकायतकर्ता की विशिष्टियां :

(क) नाम:

(ख) पदनाम:

(ग) पत्राचार का पता:

(घ) संपर्क नंबर:

(ङ) ईमेल पता:

2. अभिकथित उल्लंघन के ब्यौरे:

(क) उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/नियोजन/कर्मकार का नाम और ब्यौरे:

(ख) घटना की तारीख, समय और विनिर्दिष्ट स्थान:

(ग) स्कीम के विनिर्दिष्ट उपबंध जिनका उल्लंघन किया गया है:

(घ) साक्ष्य के साथ उल्लंघन के पूर्ण ब्यौरे:

3. संलग्न साक्ष्य/ दस्तावेजों की सूची:

घोषणा: मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त कथित तथ्य मेरे/हमारेसर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर:

तारीख:

प्ररूप 2

कारण बताओं नोटिस

[नियम 4(1) देखिए]

सेवा में,

……………………………

……………………………

……………………………

कारण बताओं सूचना

विषय: डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन स्कीम का उल्लंघन

यत:, एक शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि आपने नीचे उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार [ ] स्कीम के उपबंधों का उल्लंघन किया है: [उल्लंघन और सुसंगत उपबंधों का संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्लिखित करे]

2. अत:, आपको यहसूचनाप्राप्त होने की तारीख से.............. दिन(7 दिन से कम नहीं) के भीतर लिखित रूप में कारण बताना अपेक्षित है कि आपके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए और अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (3) के अधीनउपबंधित कानूनी शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए।

3. कृपया नोट करें, कि यदि नियत अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) शास्तियों का न्यायनिर्णयन और अपील नियम, 2026 के नियम 4 के उपनियम (6) के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

तारीख और स्थान:

प्ररूप 3

उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज या साक्ष्म प्रस्तुत करना

[*नियम* 4(3) देखिए]

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

……………………………………

1. मैं/हम, यहां तारीख के कारण बताओ सूचना के जवाब में एक औपचारिक कथन प्रस्तुत करता/करती हूं/ करते हैं और सुसंगत दस्तावेज/साक्ष्य जमा करता/करती हूं/ करते हैं:

[लिखित कथन और संलग्न साक्ष्यों की सूची संलग्न करें]

2. जिसके अंतर्गत मोबाइल नंबर और ई-मेल पतेके साथ पूरा पता (डाक सूचक संख्या/कोड और राज्य भी है):

3. उल्लंघनकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

4. मोबाइल नंबर के साथ व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किया है:

प्ररूप 4

अपील

[*नियम* 5(1) देखिए]

सेवा में,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

………………………………

1. **अपीलार्थी की विशिष्टियां :**

(क) नाम:

(ख) पत्राचार के लिए पता:

(ग) संपर्क नंबर:

(घ) ईमेल पता:

2. **आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई :**

(क) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख (आदेश की प्रति संलग्न करें):

(ख) मामले की संदर्भ संख्या (यदि कोई हो):

3.तथ्यों और अपील के आधारों का विवरण:

[विस्तृत आधार और अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उपबंध करें]

4. विलंब माफी के ब्यौरे (यदि लागू हो):

[तीस दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के कारण]

घोषणा: मैं/हम, अपीलार्थी, एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं/ करते हैं कि उपर्युक्त कथित तथ्य मेरे/हमारेसर्वोत्तम ज्ञान, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख के साथ अपीलार्थी के हस्ताक्षर:

अपीलार्थी का नाम:

[फा. सं. एलबी-18013/5/2024-श्रम]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2026.

S.O. 4324(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (ga) and (gb) of sub-section (2) of section 8 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Adjudication of Penalties and Appeal Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948);

(b) "adjudicating authority" means the Deputy Chairman, Calcutta Dock Labour Board, as specified under sub-section (1) of section 3A of the Act;

(c) "appellant" means any person aggrieved by an order of the adjudicating authority who prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (2) of section 3A of the Act;

(d) "appellate authority" means the Chairman, Calcutta Dock Labour Board, as specified under sub-section (2) of section 3A of the Act;

(e) "Form" means a form appended to these rules;

(f) "Inspector" means any person appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Filing of Complaint. – Any Inspector may file a complaint in Form I through electronic means or in person or by speed post to the adjudicating authority for any contravention of a scheme made under section 3 of the Act.

4. Holding of inquiry. – (1) For the purpose of adjudication under sub-section (1) of section 3A of the Act, the adjudicating authority shall, within thirty days from the receipt of a complaint, issue a show cause notice in Form II, requiring the respondent to reply to the show cause within such period as may be specified in the said notice.

(2) Upon considering the reply under sub-rule (1), if any, the adjudicating authority if of the opinion that an inquiry is required in the matter, he shall issue a notice in writing requiring the appearance of the respondent personally or through a representative duly authorised by him, on such date as may be fixed in the said notice.

(3) The adjudicating authority shall provide an opportunity to such person to produce such documents or evidence in Form III, that are relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date, which shall not be later than fifteen days from the first date:

Provided that the adjournment shall not be granted for more than two times.

(4) In taking such evidence, the adjudicating authority shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(5) If any person fails or refuses to appear under sub-rule (2), the adjudicating authority may proceed with the inquiry in the absence of such person, after recording the reasons in writing.

(6) Upon consideration of the evidence produced, if the adjudicating authority is satisfied that the contravention has been committed, he may, by order in writing, impose such penalty as specified under the Act:

Provided that the adjudicating authority shall provide reasonable opportunity of being heard to both the parties before passing the order:

Provided further that the penalty imposed shall be paid within such period and electronically or in such manner as specified in the order.

(7) Every order passed under sub-rule (6) shall specify-

(a) the details of the contravention committed;

(b) the provisions of the scheme contravened;

(c) the reasons for imposing the penalty;

(d) the quantum of penalty imposed; and

(e) the time within which the penalty is to be paid.

(8) A copy of the order passed under sub- rule (6) shall be provided free of cost to the parties concerned.

(9) The adjudicating authority shall complete the proceedings within six months from the date of issuance of the show cause notice to the respondent.

(10) A show cause notice under sub-rule (1) or a notice under sub-rule (2) or an order issued under sub-rule (6) shall be served in any of the following manners, namely:

(a) by electronic means; or

(b) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

(c) by speed post; or

(d) affixing at the last known place of residence or business of the person concerned.

5. Appeal. – (1) Any person aggrieved by an order passed by the adjudicating authority, may prefer an appeal in Form IV, to the appellate authority, within a period of thirty days from the date of receipt of the order:

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, admit an appeal after the expiry of thirty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(2) The appeal shall be filed along with a copy of the order of the adjudicating authority passed under sub-rule (6) of rule 4, a clear statement of facts appealed against and the grounds for appeal.

(3) The appeal may be filed through electronic means or in person or through an authorised representative or by speed post:

Provided that an appeal sent by speed post shall be deemed to have been filed on the date on which it is received by the appellate authority.

(4) Upon scrutiny, where the appeal is found to be, -

(a) in order, the appellate authority shall admit such appeal;

(b) defective, the appellate authority may allow the appellant to rectify the defects within fifteen days from the date on which the defect has been intimated.

(5) Where the appellant fails to rectify such defects within the period specified in sub-rule (4), the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to admit such appeal and shall communicate such decision to the appellant within a period of seven days thereafter.

(6) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of such appeal to respondent along with a notice in writing requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice.

(7) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating authority.

(8) Upon consideration of the evidence produced, the appellate authority may pass such orders as it may deem fit:

Provided that the appellate authority shall provide reasonable opportunity of being heard to both the parties before passing the order.

(9) A notice under sub-rule (6) or an order issued under sub-rule (8) shall be served in any of the following manners, namely:

(a) by electronic means; or

(b) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

(c) by speed post; or

(d) by affixing at the last known place of residence or business of the person concerned.

(10) The appellate authority shall dispose of the appeal within a period of sixty days from the date of its admission.

6. Order and penalties. – (1) Every order under these rules shall be dated, signed, and communicated to all the parties.

(2) If the penalty imposed by the adjudicating authority or by the appellate authority is not deposited, the amount shall be recovered as an arrear of land revenue.

(3) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the appropriate fund of the Calcutta Dock Labour Board.

Form I

Complaint

(*See* rule 3)

To

The Adjudicating Authority

………………………………….

1. Particulars of Complainant:

(a) Name:

(b) Designation:

(c) Address for correspondence:

(d) Contact Number:

(e) Email Address:

2. Details of the Alleged Contravention:

(a) Name and details of the person/employer/worker committing the contravention:

(b) Date, time, and specific place of occurrence:

(c) Specific provisions of the scheme alleged to be contravened:

(d) Comprehensive details of the contravention along with evidence:

3. List of Evidence/Documents Attached:

Declaration: I/We hereby declare that the facts stated above are correct and true to the best of my/our knowledge and belief.
Signature of Complainant:

Date:

Form II

Show Cause Notice

[*See* rule 4(1)]

To

…………………………….

…………………………….

…………………………….

SHOW CAUSE NOTICE

Subject: Contravention of Scheme under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948.

Whereas, a complaint/report has been received indicating that you have contravened the provisions of the [ ] Scheme as per the details highlighted below: [Insert brief particulars of the contravention and relevant provisions]

2. Therefore, you are hereby required to show cause in writing within _____days (not less than 7 days) from the date of service of this notice as to why an inquiry should not be conducted against you and why statutory penalty provided under sub-section (3) of section 3 of the Act should not be imposed.

3. Please note, that if no reply is received within the stipulated period, further action shall be initiated in accordance with sub-rule (6) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Adjudication of Penalties and Appeal Rules, 2026.

Adjudicating Authority

Date and Place:

Form III

Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener

[*See* rule 4(3)]

To,

The Adjudicating Authority

………………………………….

1. I/We, hereby present a formal statement and submit the relevant documents/evidences in response to the show cause notice dated ______:

[Attach written statement and list of evidence enclosed]

2. Complete address (including postal index number/code and State) along with mobile number and e-mail address:

3. Signature of the contravener or his authorized representative:

4. Name of the person along with mobile number who has signed:

Form IV

Appeal

[*See* rule 5(1)]

To

The Appellate Authority

………………………………….

1. **Particulars of the appellant:**

(a) Name:

(b) Address for correspondence:

(c) Contact Number:

(d) Email Address:

2. **Order appealed against:**

(a) Date of the order passed by the adjudicating Officer (Copy of order to be enclosed):

(b) Case reference number (if any):

3. **Statement of facts and grounds of appeal:**

[Provide detailed grounds and relevant sections of the Act]

4. **Delay condonation details (if applicable):**

[Reasons for not preferring the appeal within the mandatory period of thirty days]

Declaration: I/We, the appellant, hereby declare that the facts stated hereinabove are correct to the best of my/our knowledge, information, and belief.

Signature of appellant with date:

Name of the appellant:

[F. No. LB-18013/5/2024-Labour]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.08.05 16:39:54 +05'30'